

दिनांक: 22.02.2018

अपीलान्त या उसके वकील उपस्थित नहीं। कई बार आवाज लगवाई कोई उपस्थित नहीं। अतः अपील अदम हाजरी पैरवी इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(डा.एन.के.गुप्ता)
जिला कलक्टर,
भरतपुर